(101)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/भूरा/2018/268 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-10-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 189/अपील/16-17

1-सूरज गिरी पिता श्री गुलाब गिरी
2-मनुबाई पति सूरज गिरी
दोनों निवासी नंदगांव तहसील सनावद
जिला खरगोन म0प्र0

.................आवेदक

विरूद्ध

प्रवीण पिता श्री शिवराज वर्मा
निवासी राजमोहल्ला महू तहसील महू
जिला इंदौर

..................अनावेदक

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विजय इसासरे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण हेतु इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नन्दगांव तहसील बड़वाह स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 226/1 रकबा 3.051 हेक्टेयर अनावेदक के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित होकर उक्त भूमि पैकि रकबा 1.214 हैक्टेयर भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज से दिनांक 5-11-2014 से मूल भूमिस्वामी अनावेदक से क्रय की गई है, अत: प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम अंकित किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पजीबद्ध का कार्यवाही करते हुये दिनांक 28-7-15 को आदेश पारित कर प्रकरण में पुलिस जॉच पूर्ण होने तक प्रकरण स्थगित रखा जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-12-2016 से अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18-10-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये है :-

(1) राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र की वैधता की जॉच करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही उसे प्रश्नगत करने का ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के इस विधिक बिन्दु पर भी ध्यान नहीं देकर त्रुटि की है कि नामान्तरण प्रक्रिया में किसी परव्यक्ति का आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अधिकारी नहीं है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णत: अवैधानिक और अव्यवहारिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि थाना बडवाह के आपराधिक प्रकरण में आरोपी सुरेश की संपत्ति की जॉच लोकायुक्त कार्यालय द्वारा की जाने के कारण अनावेदक द्वारा विक्रय की गई भूमि का नामान्तरण किया जाना उचित नहीं मानने का कोई कारण नहीं बताया है ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह बताया है कि वादोक्त भूमि का एवं अनावेदक का आरोपी सुरेश से क्या संबंध है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं से लोकायुक्त इंदौर से प्रतिवेदन बुलाया गया जिसकी कॉपी आवेदक को नहीं दी गई और ना ही उक्त प्रतिवेदन के खण्डन का कोई अवसर आवेदक

को दिया गया, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना और संभावनाओं पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वाराअपने आदेश यह माना है कि आवेदक द्वारा क्रय भूमि, भूमि विक्रय करने वाले अनावेदक के नाम से सुरेन्द्र वर्मा द्वारा बेनामी खरीदी गई थी जबकि बेनामी संव्यवहार अधिनियम 1988 के आने के बाद से कोई व्यवहार बेनामी हो ही नहीं सकता है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है ।

उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के द्वारा सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा भूमि क्रय किये जाने के पश्चात् नामान्तरण की मांग किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा इस आधार पर नामान्तरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई कि आवेदक की संपत्ति के बेनामी संपत्ति होने की जॉच लोकायुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर की जा रही है एवं प्रकरण वर्तमान में लोकायुक्त में विचाराधीन है । अत: स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन विवादित होकर एवं जब तक लोकायुक्त में प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक नामान्तरण किया जाना उचित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नामान्तरण नहीं किया जाना बताया है । स्पष्ट है कि संपत्ति के असली मालिक का निर्धारण होने तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोकायुक्त के प्रकरण के निराकरण तक नामान्तरण नहीं किये जाने की कार्यवाही उचित प्रतीत होती है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-10-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर